

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर



क. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3,  
प्रति

नवा रायपुर, दिनांक ०3/05/2023

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल बिलासपुर,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (जिला पंचायत)  
छत्तीसगढ़।

विषय :- नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में आरक्षण के संबंध में।

संदर्भ:- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ 20-5/2022/आ.प्र./1-3 दिनांक 29.09.2022

संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर के आदेश दिनांक 19.09.2022 को सभी विभागों को पालन के लिए सूचित किया गया था, उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य को नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान की है।


2/ इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 01.05.2023 का पैरा-4, 5 एवं 6 निम्नानुसार है:-

4. We, therefore, permit the State to go ahead with the selection process and make appointments and promotions.
5. However, it is made clear that the same shall be subject to the result of the petition.
6. All appointment and promotion orders shall specifically mentions that such appointments and promotions are subject to the final outcome of the present proceedings.

3/ सभी नियुक्तियों एवं चयन प्रक्रियाओं में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाये कि, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अधधीन होंगी।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

  
(एस.के.सिंह)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग


कमश:...2

पृ.क्र. एफ 13-1/2023/आ.प्र./1-3  
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2023

- (1) महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (2) मान.राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- (3) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मान.मुख्यमंत्री, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (4) सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर।
- (5) रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
- (6) महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
- (7) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (8) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर।
- (10) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (11) विशेष सहायक/निज सचिव, समस्त मान.मंत्रीगण/मान.संसदीय सचिवगण, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (12) आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, 7-सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरा, नई दिल्ली।
- (13) सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग/व्यवसायिक परीक्षा मण्डल छत्तीसगढ़ रायपुर।
- (14) संचालक, जनसंपर्क, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (15) राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.gad.cg.gov.in](http://www.gad.cg.gov.in) पर तत्काल अपलोड करने हेतु।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन 03.5.23  
सामान्य प्रशासन विभाग